839

<u>द्वारा ई–मेल/द्वारा फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–।

संख्याःअठ्ठारह–लिपिक–(वरि0)–2015 दिनॉकःअक्टूबर 3 ,2015

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।
2–समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश

<u>विषयः</u> लिपिक संवर्ग, लेखा संवर्ग एवं गोपनीय सहायक संवर्ग के कर्मियों की अलग–अलग सयुंक्त सूची का प्रकाशन।

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश संख्याः1447/6–पु–1–14–650(59)–02 टीसी दिनांकः 10.10.2014 द्वारा शासनादेश संख्याः 6707/आठ–1–650(4)/75 दिनांकः 09–02–1976 एवं तत्सम्बन्धी अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए अब उ0प्र0 पुलिस बल में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित तीन संवर्गो में विभक्त किया गया हैः–

1– लिपिक संवर्ग ।
2– लेखा लिपिक संवर्ग।
3– आशुलिपिक/गोपनीय सहायक संवर्ग।

02– उक्त शासनादेश दिनांकित 10.10.2014 में यह भी अंकित है कि उपरोक्तानुसार गठित तीनो संवर्गो के कार्मिकों की ज्येष्ठता का निर्धारण उनके सेवा में आने की तिथि से किया जायेगा। इन तीनो संवर्गो की पृथक–पृथक संवर्ग वार निर्विवाद ज्येष्ठता सूची की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही लिपिक संवर्ग की सेवा नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात की जायेगी।

03– संज्ञानित कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग–1, के अधिसूचना संख्याः1694/6–पु–1–15–650(59)–2002टी0सी0 दिनांकः 23–07–2015 द्वारा उपरोक्त तीनो संवर्गों–लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 प्रख्यापित की जा चुकी है।

04– उक्त सेवानियमावली के नियम–19(2) में अंकित किया गया है कि "बोर्ड द्वारा नियम–18 के अर्न्तगत पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति हेतु अनुसंशित व्यक्तियों को फीडर रैंक में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में पदोन्नत किया जाएगा, परन्तु यह कि पूर्ववर्ती चयन में पदोन्नत व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन में पदोन्नत व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा।" इस नियमावली के नियम–23 में भी यह अंकित किया गया है कि "सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,1991

के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित की जाएगी, कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा।"

05– इस प्रकार पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक), पुलिस उप निरीक्षक (लेखा), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) तथा पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की अलग–अलग सूची तैयार की गयी है, जिनमें वरिष्ठता का आधार निम्नवत् हैः–

(1) पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)
- एस0आई0(एम) / आशुलिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
- कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान होने पर उनकी जन्मतिथि

(2)पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक)
- एस0आई0(एम) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
- एस0आई0(एम) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान होने पर कान्स0(एम) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
- उपरोक्त दोनों तिथियॉ समान होने पर उनकी जन्मतिथि

(3) पुलिस उप निरीक्षक (लेखा)
- एस0आई0(एम) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
- एस0आई0(एम) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान होने पर कान्स0(एम) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
- उपरोक्त दोनों तिथियॉ समान होने पर उनकी जन्मतिथि

(4)पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक)
- कान्स(एम) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
- कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान होने पर उनकी जन्मतिथि

(5) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)
- कान्स(एम) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
- कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान होने पर उनकी जन्मतिथि

06– उपरोक्त पॉचों सूचियों को uppolice.nic.in में सिस्टम पर अपलोड कर दिया गया है, जहॉ पर उनको Police Head Quarters(PHQ) के PHQ Circulars (Subject) में Estt. Matters Of Ministerial में प्रदर्शित किया जा रहा है। कृपया उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही सूची डाउन लोड कर सम्बन्धित कर्मियों के डाटा का मिलान अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से करा लिया जाये। यदि किसी कर्मी का डाटा त्रुटिपूर्ण है अथवा उसका नाम छूटा हुआ है, तो उसका विवरण पुलिस मुख्यालय के **Email ID. sectionofficer18phq@gmail.com** पर एवं हार्ड प्रति **दिनॉक:15–10–2015 तक भेजते हुये उसका संशोधन प्रत्येक दशा में करा लिया जाय।**

7— इस सूची को पुलिस कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित स्थानों पर प्रचार—प्रसार करने हेतु सूचना—पट् पर चस्पा करा दिया जाय। सम्बन्धित कर्मियों को इसकी लिखित सूचना देते हुये अवगत कराया जाय कि यदि उन्हें अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो दिनॉक:15—10—2015 तक अपना प्रत्यावेदन जनपद/इकाई के प्रभारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। सूची में अंकित यदि कोई कर्मी प्रतिनियुक्ति पर है तो उसे सूचित करने की जिम्मेदारी उसके गहन जनपद/इकाई की होगी। सम्बन्धित कर्मियों के सूचित किये जाने सम्बन्धी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रख लिये जाय। यदि किसी कर्मी द्वारा अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्रथमतः उसके कथनों का परीक्षण कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से कराकर उनकी सत्यता की जॉच कर ली जाय। यदि प्रत्यावेदन के कथन सत्य पाये जाते हैं तो ई—मेल के माध्यम से Excel File में प्रेषित की गयी सूची में सही सूचना अंकित कर सही किये गये डाटा के सेल(cell) को लाल कलर से हाईलाइट करते हुये ई—मेल के माध्यम से वापस पुलिस मुख्यालय प्रेषित किया जायें। यदि यह पाया जाता है कि प्रत्यावेदन में अंकित आपत्ति का निस्तारण पुलिस मुख्यालय स्तर से अपेक्षित है तो मात्र प्रत्यावेदन को अग्रसारित न किया जाय बल्कि प्रत्यावेदन में अंकित तथ्यों पर सुस्पष्ट आख्या सम्बन्धित अभिलेखों के साथ विलम्बतम् **दिनॉक 20—10—2015 तक** पुलिस मुख्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाय। **साथ ही इस आशय का प्रमाण—पत्र भी उपलब्ध कराया जाय कि आपके जनपद/इकाई में नियुक्त कर्मी का नाम छूटा नहीं है।**

8— अतः अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समयसीमा के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3/x

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः—

1—पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 लखनऊ।

2—पुलिस महानिरीक्षक स्थापना,उ0प्र0 लखनऊ।

3—सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि प्रभारी आई0टी0 सेल, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को उपरोक्त पॉचों प्रकार की सूचियॉ पेन ड्राईव में इस आशय से प्रेषित हैं कि वे इसे uppolice.nic.in में सिस्टम पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।